राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / एल.आर. / 1687 / 2005 / सीकर

1. सागरमल पुत्र सांवलराम
2. अशोक पुत्र ओमप्रकाश
3. मुन्ना उर्फ मोहनलाल पुत्र सांवलराम
4. लीला पुत्र कैलाश
5. रविन्द्र पुत्र कैलाश

समस्त जाति जांगिड, निवासीगण बिहारीपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. मुन्नीदेवी पत्नी मोडूराम पुत्री रघुवीर जांगिड निवासी कालडावास पोस्ट बाबवल जिला रेवाडी (हरियाणा)
2. हरीराम गुप्ता पुत्र मक्खन जाति महाजन निवासी ग्राम बिहारीपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक निगरानीकर्तागण
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री रोहित सोनी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय **दिनांक 10.12.2018**

1. यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 30–3–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानी याचिका के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि सांवलराम की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि थी। सांवलराम की मृत्यु के उपरान्त यह भूमि उसके पांचों पुत्रगण बहादुर, सागर, ओमप्रकाश, कैलाश व मुन्ना पर बहिस्सा बराबर धारित हुई। इनमें से निगरानीकर्तागण संख्या 1 व 3 सागरमल व

मुन्ना जीवित हैं, शेष तीन का निधन हो चुका है। निगरानीकर्ता संख्या 2, मृतक ओमप्रकाश का पुत्र है तथा निगरानीकर्ता संख्या 4 व 5 मृतक कैलाश के पुत्रगण हैं। बहादुर वर्ष 1958–59 में लाऔलाद फौत हुआ था। उसका निधन होने के पश्चात उसकी बेवा सरती देवी ने रघुवीर खाती निवासी कटकई जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा) से नाता विवाह कर लिया था। इसलिए सरती देवी का बहादुर की सम्पत्ति में कोई हक नहीं रहा। इन परिस्थतियों में बहादुर की सम्पत्ति का नामान्तरकरण संख्या 229 ग्राम पंचायत बिहारीपुरा द्वारा उसके जीवित भाईयों व मृत भाईयों के वारिसान के नाम उनके हिस्सा अनुसार स्वीकृत किया गया। सरती देवी के नाता जाने के बाद अप्रार्थीया मुन्नी देवी रघुवीर के नुत्फे से वर्ष 1962 में पैदा हुई। नामान्तरकरण संख्या 229 के विरूद्ध मुन्नी देवी ने उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना के न्यायालय में एक अपील पेश की, जिसे उक्त न्यायालय ने दिनांक 18–10–04 के निर्णय के द्वारा स्वीकार कर लिया तथा प्रश्नगत नामान्तरकरण को यह कहते हुए अपास्त कर दिया कि मुन्नी देवी, मृतक बहादुर की पुत्री है। इसलिए बहादुर की खातेदारी की भूमि उसके नाम दर्ज की जाए। इस निर्णय के विरूद्ध निगरानीकर्तागण ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील पेश की, जिसे दिनांक 30–3–05 को खारिज कर दिया गया। अतः यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण की दलील है कि मुन्नी देवी ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में कोई साक्ष्य पेश नहीं की, जिससे साबित हो सके कि वह बहादुर की पुत्री है। प्रश्नगत नामान्तरकरण को तस्दीक करते समय भी पटवारी हल्का व गिरदावर ने ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी कि मुन्नी देवी, मृतक बहादुर की पुत्री है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं होता है कि उपखण्ड अधिकारी ने किस आधार पर मुन्नी देवी को बहादुर की पुत्री होना माना है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त आक्षेपित निर्णय में अंत तक यह निर्धारित नहीं कर पाए कि मुन्नी देवी, बहादुर की पुत्री है अथवा नहीं। किन्तु मुन्नी देवी को सरती की पुत्री मानते हुए निगरानीकर्तागण की अपील खारिज कर दी गई। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समकक्ष नहीं है। जब तक मुन्नी देवी बहादुर की पुत्री साबित नहीं होती है, तब तक प्रश्नगत नामान्तरकरण को अपास्त करने का कोई वाजिब कारण रिकार्ड पर नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि बहादुर की मृत्यु के ढाई वर्ष बाद मुन्नी का जन्म हुआ था। इसलिए मुन्नी देवी

उसकी सम्पत्ति में कोई हक क्लेम करने की पात्र नहीं है। सरती देवी ने बहादुर की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति में कभी भी कोई हक व हिस्सा क्लेम नहीं किया और ना ही वह उसके पश्चात कभी ग्राम बिहारीपुर में रही थी बल्कि वह हरियाणा में चली गई थी। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि उसका कोई हक व हिस्सा वादग्रस्त सम्पत्ति में था तो वह उसने त्याग दिया था। इस प्रकार निगरानीकर्तागण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत बहादुर के वारिसान होने से उसकी भूमि पर बहिस्सा बराबर धारित करने के अधिकारी हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस आशय के गलत निष्कर्ष दिये हैं कि नामान्तरकरण में लिप्त कृषि भूमि बहादुर की विधवा पर धारित हो चुकी थी तथा उसके मरते ही उसकी पुत्री पर धारित हो गई। यदि मुन्नी को रघुवीर की पुत्री माना जाता है, जैसा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कुछ हद तक इसे स्वीकार किया है, तो यह भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, 8 या 15 के तहत मुन्नी देवी पर धारित नहीं होगी बल्कि बहादुर के जाईन्दा औलाद नहीं होने से उसके भाईयों पर धारित होगी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 (1) (A) को समझने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है। यदि औरत नाता विवाह कर लेती है तो उसके नाता पति के नुत्फे से पैदा हुई औलाद औरत के पूर्व पति की सम्पत्ति को अर्जित नहीं कर सकती है। यह जांच का विषय था कि मुन्नी देवी, बहादुर की पुत्री है या नहीं। उपखण्ड अधिकारी ने बिना जांच किए एवं बिना साक्ष्य के ही मुन्नी को बहादुर की पुत्री मान कर गलत नामान्तरकरण मुन्नी देवी के नाम स्वीकृत किया है। उपखण्ड अधिकारी को यह चाहिए था कि नामान्तरकरण संख्या 229 को बहाल रखते हुए ज्यादा से ज्यादा तहसीलदार या ग्राम पंचायत से साक्ष्य व टिप्पणी मंगवाते या स्वयं जांच करते। नामान्तरकरण संख्या 229 को पूर्णतया अधिकार रहित मानने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है। उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृत होने के 20 से भी अधिक वर्षो तक निगरानीकर्तागण वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहे हैं। इस अवधि में मुन्नी देवी कभी भी ग्राम बिहारीपुरा आयी ही नहीं थी। जो बिन्दु नियमित वाद में तय किये जाने चाहिए थे, उन्हें नामान्तरकरण की अपील में निर्णीत करके अवैधानिकता की गई है। उपखण्ड अधिकारी के यहां जो दस्तावेजात मुन्नी देवी ने प्रस्तुत किए थे, उसमें उसकी जो जन्म तिथि बतलाई गई है, वह किसी उमराव नाम के व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत मेहाडा जादूवास व ग्राम पंचायत कटकई पोस्ट गूजरवास जिला महेन्द्रगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर मानी गई है। यह प्रमाण पत्र दिनांक 3–12–04 को किस आधार पर दिया गया, कतई स्पष्ट नहीं है जबकि इस आशय का प्रमाण पत्र तो ग्राम पंचायत बिहारीपुरा

द्वारा दिया जाना चाहिए था। जैसा कि ग्राम पंचायत बिहारीपुरा ने जो प्रमाण पत्र दिया है, उसमें मुन्नी देवी को बहादुर की पुत्री नहीं माना गया है। ग्राम पंचायत कटकई व मेहाडा जादूवास द्वारा जारी प्रमाण पत्रों का कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा मुन्नी देवी का यह पक्ष कथन नहीं रहा है कि वादग्रस्त आराजी उसकी मां के हिस्से की आराजी थी, जो उस पर धारित हुई हो। विकल्प में यदि यह मान लिया जाए कि मुन्नी देवी, बहादुर की पुत्री थी तो बहादुर के फौत होते ही बहादुर की आराजी उसके समस्त भाईयों में धारित हो गई थी व उसके बाद उसका जन्म हुआ है तो वह वादग्रस्त भूमि पर क्लेम नहीं कर सकती। एक बार यह भूमि निगरानीकर्तागण पर धारित हो जाने पर वे उसक पूर्णतया खातेदार हो गए थे। यदि बाद में जन्म लेने पर उसका कोई क्लेम बनता है तो केवल सक्षम न्यायालय में वाद पेश करके ही वह इस आशय की घोषणा करवा सकती थी, ना कि नामान्तरकरण की अपील में। मुन्नी देवी ने ग्राम कटकई के स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश लिया था, जिसमें क्रमांक 390 पर उसकी जन्म तिथि 6–5–1962 दर्ज है तथा उसमें दिनांक 7–5–1966 को विद्यालय में प्रवेश लिया था। इससे स्पष्ट है कि मुन्नी देवी, बहादुर की मृत्यु के वर्षो बाद पैदा हुई थी। विद्वान अधिवक्ता की यह भी दलील है कि निगरानीकर्तागण ने अधीनस्थ न्यायालयों में मुन्नी देवी के उक्त विद्यालय से जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के तलब करने हेतु आवेदन पेश किए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने वह आवेदन पत्र खारिज कर दिए। निगरानीकर्तागण ने इस पत्रावली में भी दरख्वास्त पेश की थी कि उक्त दस्तावेज को राजकीय प्राथमिक पाठशाला कटकई जिला महेन्द्रगढ से तलब किया जाए किन्तु उस दरख्वास्त पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा इस बीच निगरानीकर्तागण ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर ली है। अतः दिनांक 16–10–18 को निगरानीकर्तागण ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत दरख्वास्त पेश कर उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया है। उक्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र इस निगरानी याचिका के अंतिम निस्तारण के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अतः दरख्वास्त व निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णयों को अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 229 को बहाल रखा जाए।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उनकी दलील थी कि आक्षेपित दोनों निर्णय विधि सम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। निगरानी न्यायालय का सीमित क्षेत्राधिकार होता है तथा इस प्रकरण के तथ्यों के अनुसार उक्त निर्णयों में

हस्तक्षेप लायक गुंजाइश नहीं है। विद्वान अधिवक्ता की यह भी दलील थी कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विलंब के बिन्दु पर विवेचन करने के पश्चात गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि विलम्ब के कारण को संतोषजनक मानते हुए क्षमा कर दिया गया है। इसके अलावा द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि मुन्नी देवी, बहादुर की पुत्री है। इसलिए निगरानीकर्तागण के पक्ष में स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सही रूप से अपास्त किया जाकर मुन्नी देवी के नाम सही रूप से स्वीकृत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता की यह भी दलील थी कि बहादुर की मृत्यु वर्ष 1959 के आस पास हुई थी। विधिक दृष्टि से उसी दिन यह भूमि मृतक की प्रथम श्रेणी की वारिस श्रीमती सरती देवी के पक्ष में समाहित हो गई थी तथा निगरानीकर्तागण उसके द्वितीय श्रेणी के वारिसान थे। जब विधि की दृष्टि में वादग्रस्त भूमि सरती देवी के पक्ष में आ गई तब उसके द्वारा पुनर्विवाह कर लेने से भूमि में उसके अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। उनकी यह भी दलील रही थी कि यदि तर्क के लिए मुन्नी देवी को रघुवीर की औलाद मान लिया जाए तब भी सरती देवी की सम्पत्ति मुन्नी देवी को ही मिलनी चाहिए, ना कि मृतक के भाईयों को। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 (1) का अवलंब लिया जा सकता है। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आक्षेपित दोनों निर्णय विधि सम्मत हैं। उनकी यह भी दलील थी कि नामान्तरकरण संख्या 229 मूलतः गलत था। इसलिए ऐसे आदेश को चुनौती देने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है तथा ऐसे आदेश को कभी भी किसी स्तर पर भी चुनौती दी जा सकती है। चूंकि नामान्तरकरण संख्या 229 मुन्नी देवी व सरती देवी को बिना सुने स्वीकृत किया गया था, इसलिए आदेश की जानकारी होते ही उसे चुनौती दे दी गई तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विलंब का कारण समुचित मानकर उसे माफ किया है। विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी खारिज करने का निवेदन किया एवं अपने तर्को की पुष्टि में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं–

(1) 2003 (2) आर.आर.टी. 837 ''कन्हैया बनाम तुलसा वगैरहा'' :– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है तथा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

(2) 1997 आर.आर.डी. 168 ''हीरालाल बनाम केसरीया वगैरहा'' :– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा मत प्रतिपादित किया गया है कि उत्तराधिकार (succession)

कभी भी स्थगन (abeyance) में नहीं रहता है तथा एक व्यक्ति की मृत्यु होते ही उसकी सम्पत्ति का उसके वैध वारिसान में न्यागमन (devolution) हो जाता है।
(3) ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1730 ''पुनीथावाली अम्माल बनाम रामलिंगम'' :– इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि एक हिन्दू महिला की सम्पत्ति उसकी पूर्ण (absolute) सम्पत्ति कहलाई जाएगी।

(4) 1994 आर.आर.डी. 212 '' छगन वगैरहा बनाम कस्तुरी वगैरहा'' :– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दू विधवा बिना वसीयत के फौत हो जाती है तो उसकी सम्पत्ति उसकी एक मात्र पुत्री में devolve होगी, ना कि उसके पति के रिश्तेदारान में।

(5) ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 2823 ''श्रीमती सवरणी बनाम इन्द्र कौर'' :– इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में अवैधानिकता नहीं हो तो मात्र नामान्तरकरण के आधार पर निर्णय व डिक्री को अपास्त नहीं किया जाना चाहिए।

(6) 1979 आर.आर.डी. 1 ''केरीया बनाम सांवलिया''
(7) 1987 आर.आर.डी. 140 ''टुण्डा बनाम सुरज्या'' :–
इन मामलों में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल वित्तीय प्रयोजनार्थ अमल में लाई जाती है तथा इससे भूमि का मालिकाना हक साबित नहीं होता है।

(8) 1991 आर.आर.डी. 252 ''रामेश्वरलाल बनाम मनोहरलाल'' :– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि न्यायालय द्वारा विवेक का इस्तेमाल करते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के तहत दरख्वास्त स्वीकार या अस्वीकार कर ली जाती है तो निगरानी न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

(9) 1996 आर.आर.डी. 16 ''रामप्रताप बनाम मूलीलाल आदि''
(10) 1995 आर.आर.डी. 668 ''नगर पालिका बनाम श्री हनुमान जी''
इन मामलों में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि क्षेत्राधिकार से परे जाकर कोई आदेश दिया जाता है तो उसे चुनौती देने के लिए मियाद के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(11) 1990 आर.आर.डी. 644 ''मंगल कुमारी बनाम स्टेट आफ राजस्थान'' :– इस मामले में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि आवश्यक पक्षकार को नोटिस दिए बगैर कोई कार्यवाही अमल में लाई जाती है, उस मामले में आदेश की जानकारी होने से मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

(12) 1997 आर.आर.डी. 511 ''स्टेट आफ राजस्थान बनाम मंगलाराम'' :– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि गुणावगुण पर पक्षकार का सुदृढ मामला हो तो मियाद के तकनीकी आधारों पर उसकी सुनवाई करने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अध्ययन किया गया।

7. इस मामले में अन्य विवादों के अलावा एक विवाद यह भी है कि रेस्पोडेन्ट मुन्नी देवी, बहादुर की जाईन्दा पुत्री थी अथवा रघुवीर की ? यह तथ्य साबित करने के लिए दोनों पक्षों ने ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं किन्तु निगरानीकर्तागण की ओर से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में रेस्पोडेन्ट मुन्नी देवी के स्कूल रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को साबित करने के लिए स्थानान्तरण प्रमाण पत्र को तलब कराने की दरख्वास्तें पेश की थी, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। अंततः निगरानीकर्तागण ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उक्त प्रमाण पत्र को प्राप्त किया तथा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत दरख्वास्त पेश कर उसे रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया है। इस प्रमाण पत्र के अनुसार मुन्नी देवी का जन्म दिनांक 6–5–1962 को हुआ था। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि बहादुर की मृत्यु वर्ष 1959 के आस पास हुई थी तथा उसकी मृत्यु उपरान्त मुन्नी देवी की माता सरती देवी ने रघुवीर नाम के व्यक्ति से जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा) के किसी गांव में पुनर्विवाह कर लिया था। इसलिए इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रकरण के अंतिम निस्तारण हेतु सहायक है। इसलिए दरख्वास्त अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार की जाकर इस प्रमाण पत्र को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8. यह एक स्वीकृत बात है कि बहादुर की मृत्यु के बाद सरती देवी ने अपने जीवनकाल में कभी भी बहादुर की सम्पत्ति में कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया। वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण उसके भाईयों व भाईयों के पुत्रों के पक्ष में स्वीकृत हो जाने के भी करीबन 20 से भी अधिक वर्षों बाद तक मुन्नी देवी ने भी कोई

कार्यवाही नहीं की। उसने प्रथम बार उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना के न्यायालय में अपील वर्ष 2003 में प्रस्तुत की थी, जिसे दिनांक 18–10–04 को स्वीकार किया गया। इसलिए इन तमाम वर्षो में बहादुर के भाई या भाई के पुत्रगण उसके हिस्से की भूमि को काश्त करते रहे एवं माल कागजात में भी उनका नाम दर्ज रहा। इस प्रकरण में तथ्यों एवं विधि के कई प्रश्न निहित थे, उदाहरण के तौर पर मुन्नी देवी बहादुर की जाईन्दा पुत्री थी अथवा रघुवीर की ? क्या बहादुर की मृत्यु होते ही उसकी बेवा द्वारा पुनर्विवाह कर लेने पर बहादुर की भूमि में उसके हक समाप्त हो गये अथवा बरकरार रहे ? सरती देवी या मुन्नी द्वारा 20 से भी अधिक वर्षो तक बहादुर की भूमि में कोई हक नहीं जताने पर क्या उनके हक समाप्त हो गये अथवा बदस्तूर बने रहे ? इस प्रकार यह तथा कई अन्य प्रश्न जो इस प्रकरण में उठाये गये है वे अपील में तय किये जाने योग्य नहीं थे बल्कि नियमित वाद के द्वारा ही तय हो सकते थे। किन्तु विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने 20 वर्षो बाद प्रस्तुत की गई अपील में इन तथ्यात्मक पहलुओं को दरकिनार करते हुए केवल ग्राम कटकई के सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर निगरानीकर्तागण के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को अपास्त करने में अवैधानिकता की है तथा विद्वान द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी इस प्रकरण में निहित तथ्यों एवं विधि के प्रश्नों का निर्धारण इस प्रकार कर दिया मानो वे नियमित वाद का निस्तारण कर रहे हो।

9. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस विधिक पहलु की जानकारी होते हुए भी कि नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल वित्तीय प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा सकती है, निगरानीकर्तागण के पक्ष में स्वीकृत किए गए नामान्तरकरण को अपास्त करके अवैधानिकता की है।

10. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मुन्नी देवी को बहादुर की पुत्री होना मानते हुए निगरानीकर्तागण के पक्ष में स्वीकृत किए गए नामान्तरकरण को अपास्त किया था, जबकि द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस आशय की कोई फाइडिंग नहीं दी है कि मुन्नी देवी, बहादुर की जाइन्दा पुत्री थी। बल्कि उन्होंने निर्णय के पृष्ठ संख्या 9 में अपना विवेचन यह कहते हुए आरम्भ किया है कि ''यदि यह भी मान लिया जावे कि मृतक बहादुर के स्वयं के कोई संतान नहीं थी, तब भी मृतक की विधवा, जो मृत्यु के दिन मौजूद थी तो वही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसकी वारिस ठहरती है।'' इसलिए मुन्नी देवी, मृतक बहादुर की जाईन्दा पुत्री होने बाबत दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष नहीं हैं। इसके अलावा प्रकरण में अंतिम रूप से हालांकि दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों ने निगरानीकर्तागण के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को अपास्त किया है किन्तु मेरी विनम्र राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष विधि की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं क्योंकि इस प्रकरण में उत्पन्न जटिल प्रश्नों को नियमित वाद के द्वारा ही तय किया जा सकता था। खास तौर पर जबकि मुन्नी देवी की जन्म तिथि वर्ष 1962 की है तथा बहादुर की मृत्यु वर्ष 1959 में हो जाना बताया गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी काबिले स्वीकार है।

11. लिहाजा यह निगरानी स्वीकार की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय दिनांक 18–10–2004 व 30–5–2005 अपास्त किये जाकर निगरानीकर्तागण के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 5–10–1977 को बहाल रखा जाता है। रेस्पोडेन्ट मुन्नी देवी वादग्रस्त भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा का नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र होगी।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य